



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 06.08.2026

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 260/26 धारा 309(4)/351(2)/ 61(2) बीएनएस में वांछित 25 हजार के ईनामिया 01 अभियुक्त को बाद पुलिस मुठभेड़ घायलावस्था में किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से लूटे गये रुपये में से ₹4,560/- नगद व घटना में प्रयुक्त बिना नंबर प्लेट (आगे व पीछे) की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल तथा एक अवैध तमंचा.315 बोर मय 01 खोखा कारतूस व 01 जिंदा कारतूस .315 बोर, लूटा गया बैग बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 04.08.2026 को थाना सिंघावली अहीर पर वादी पिल गौतम पुत्र श्री गंगादास निवासी ग्राम खेड़की थाना मवाना जनपद मेरठ पद कलेक्शन एजेंट (सत्या फाइनेंस) ने लिखित तहरीर दी कि मो0साइकिल स्प्लेंडर



सवार दो व्यक्ति नाम पता अज्ञात वादी व वादी के साथी अभिषेक पुत्र श्री इन्द्रपाल निवासी ग्राम बसा टीकरी थाना कोतवाली बागपत को तमंचा दिखाकर जान से मारने की धमकी देते हुए कलेक्शन के पैसों से भरा बैग जिसमें रखे कुल 55,700/-रुपये तथा अभिषेक के पर्स जिसमें डीएल व 1200/- रुपये रखे थे, को छीन कर ले गये । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 260/2026 धारा 309(4)/351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं लुटेरे/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 260/26 धारा 309(4)/351(2)/61(2) बीएनएस में वांछित 25 हजार के ईनामिया 01 अभियुक्त को बाद पुलिस मुठभेड़ घायलावस्था में गिरफ्तार किया गया है, जिसकी कब्जे से लूटे गये रुपये में से ₹4,560/- नगद व घटना में प्रयुक्त बिना नंबर प्लेट (आगे व पीछे) की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल तथा एक अवैध तमंचा.315 बोर मय 01 खोखा कारतूस व 01 जिंदा कारतूस .315 बोर, लूटा गया बैग बरामद हुआ है।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना सिंघावली अहीर पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- दिनांक 05.08.2026 को अभियुक्त अभिषेक को गिरफ्तार किया गया , जिसके कब्जे से ₹12,000/- नगद बरामद हुए तथा अभियुक्त दीपक को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से ₹8,000/- नगद, लूटा गया बैग तथा कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख बरामद हुए।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

विवेक पुत्र यशपाल निवासी ग्राम खेड़ी सलाबतपुर थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- लूटे गये रुपये में से 4560/- रुपये नगद।
- घटना में प्रयुक्त बिना नंबर प्लेट (आगे व पीछे) की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल।
- एक अवैध तमंचा.315 बोर मय 01 खोखा कारतूस व 01 जिंदा कारतूस .315 बोर।
- लूटा गया बैग।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-थानाध्यक्ष श्री सूर्यदीप सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 2- उ0नि0 श्री रजत कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

- 3- उ0नि0श्री स्नेह प्रकाश थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 4- है0का0 331 सुनील कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 5- है0का0 210 दानवीर थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 6- है0का0 689 विपिन तेवतिया थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 7- है0का0 681 दीपक बरार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 8- का0 23 अजयपाल थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।





प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 06.08.2026

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 260/26 धारा 309(4)/351(2)/61(2) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसकी निशांदेही पर लूटे गये रुपये में से 8000/- रुपये नगद व घटना में प्रयुक्त एक अवैध देशी पिस्टल बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 04.08.2026 को थाना सिंघावली अहीर पर वादी पिल गौतम पुत्र श्री गंगादास निवासी ग्राम खेड़की थाना मवाना जनपद मेरठ पद कलेक्शन एजेंट (सत्या फाइनेंस) ने लिखित तहरीर दी कि मो0साईकिल स्प्लेन्डर सवार दो व्यक्ति नाम पता अज्ञात वादी व वादी के साथी अभिषेक पुत्र श्री इन्द्रपाल निवासी ग्राम बसा टीकरी थाना कोतवाली बागपत को तमंचा दिखाकर जान से मारने की धमकी देते हुए कलेक्शन के पैसों से भरा बैग जिसमें रखे कुल 55,700/-रुपये तथा



अभिषेक के पर्स जिसमें डीएल व 1200/- रुपये रखे थे, को छीन कर ले गये । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 260/2026 धारा 309(4)/351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 260/26 धारा 309(4)/351(2)/61(2) बीएनएस में वांछित 01

अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी निशांदेही पर लूटे गये रुपये में से 8000/- रुपये नगद व घटना में प्रयुक्त एक अवैध देशी पिस्टल बरामद हुई है।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना सिंघावली अहीर पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

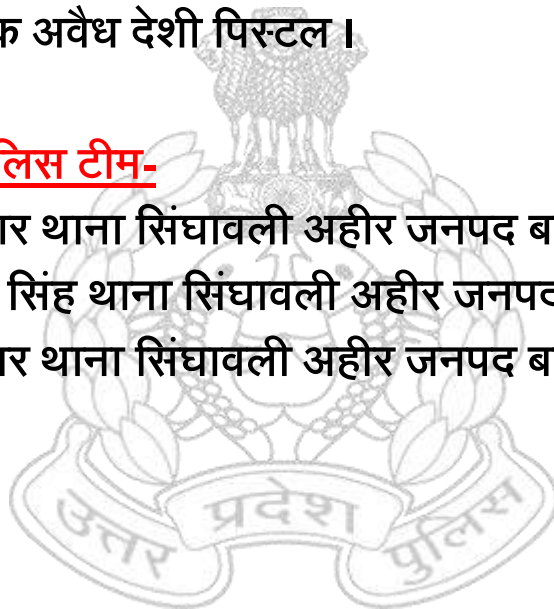
दीपक पुत्र कवरपाल निवासी ग्राम बसा टीकरी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत

बरामदगी का विवरण-

- लूटे गये रुपये में से 8000/- रुपये नगद।
- घटना में प्रयुक्त एक अवैध देशी पिस्टल।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री रजत कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 2-है0का0 410 राजवीर सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 3-का0 143 अमित कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।





प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 06.08.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 504/26 धारा 303(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से समरसेबल, मोटर के पार्ट्स, ऑल्टीनेटर के पार्ट्स, स्टार्टर के पार्ट्स, ताँबे का तार व समरसेबल का केबल बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 03.08.2026 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी राजेन्द्र कुमार पुत्र ब्रह्मसिंह निवासी मौ0 कृष्णा एन्क्लेव कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत ने लिखित तहरीर दी कि दिनांक 01.08.2026 कि रात्रि में किसी अज्ञात चोरों द्वारा वादी की ट्यूबवेल से एक जनरेटर का



एल.टी.रेटर, एक समरसेबल, केबिल लगभग 100 फुट व पडौसी अनीस कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद निवासी ग्राम सिसाना थाना कोतवाली बागपत की ट्यूबवेल पर भी चोरी कर ली गई है । इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 504/26 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 504/26 धारा 303(2) बी0एन0एस0 का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से समरसेबल, मोटर

के पार्ट्स, ऑल्टीनेटर के पार्ट्स, स्टार्टर के पार्ट्स, ताँबे का तार व समरसेबल का केबल बरामद हुआ है।

बरामदगी का विवरण-

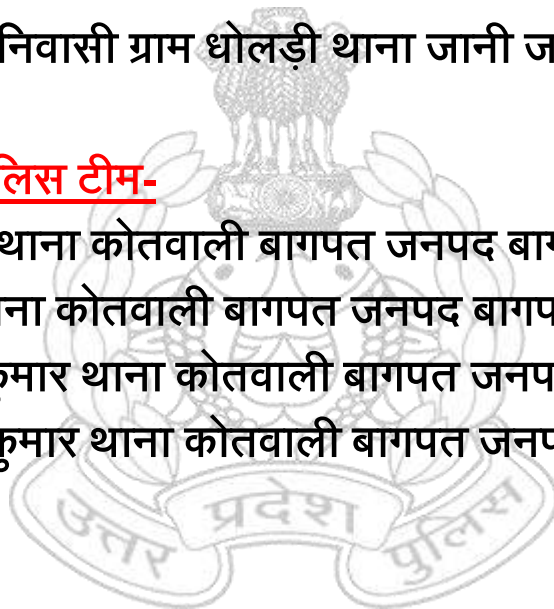
- समरसेबल।
- मोटर के पार्ट्स, ऑल्टीनेटर के पार्ट्स, स्टार्टर के पार्ट्स।
- ताँबे का तार व समरसेबल का केबल।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

- 1-नजमुद्दीन पुत्र अलीमुद्दीन निवासी माता कॉलोनी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 2-मुज्जमिल पुत्र जहीर निवासी ग्राम धोलड़ी थाना जानी जनपद मेरठ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० नीरज कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 2-उ०नि० शिवकुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 3-है०का० 151 संदीप कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 4-है०का० 894 कपिल कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।





प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 06.08.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 508/26 धारा 303(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी की गयी एक मो0सा0 हीरो स्प्लेण्डर प्लस नं0 UP-17Q-3514 बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 05.08.2026 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी प्रदीप कुमार पुत्र करतार सिंह निवासी ग्राम निवाड़ा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात चोर द्वारा उसकी मोटरसाईकिल हीरो स्प्लेण्डर प्लस नं0 UP-17Q-3514 को चोरी कर लिया गया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 508/26 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम व चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस

द्वारा थाने के मु0अ0सं0 508/26 धारा 303(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से चोरी की हुई एक मो0सा0 हीरो स्प्लेण्डर प्लस नं0 UP-17Q-3514 बरामद हुई है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी की हुई मोटर साईकिल हीरो स्प्लेण्डर प्लस नं0 UP-17Q-3514

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

बबलू पुत्र जयभगवान निवासी ग्राम पवसरा थाना कुण्डली जनपद सोनीपत हरियाणा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री चन्द्रभान सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 2-का0 285 प्रशान्त थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 3-का0 566 मनीष थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

